न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2022/49

भीमराज आत्मज रूपा जी जाति बंजारा निवासी ग्राम जगपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कौटा ।
2. नगर विकास न्यास कोटा ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री राजेन्द्र कुमार, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री राजेन्द्र मालवीय, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से ।
3. श्री शम्भूदयाल विजय,, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 02.08.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.11.2021 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 92ए एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम उम्मेदपुरा तहीसल लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 70/268 रकबा 2.92 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि पर वादी काफी समय से पत्थर कोट करके काश्त करता चला आ रहा है । उक्त भूमि पर वादी के पिता काबिज काश्त थे उनकी मृत्यु के पहले व बाद में वादी उक्त भूमि पर काश्त करता चला आ रहा है । वादी ने उक्त भूमि पर बिजली लगा रखी है । वादी उक्त भूमि पर तावान की राशि समय– समय पर जमा करवाता चला आ रहा है । उक्त भूमि को आवंटन किये जाने बाबत् वादी के पिता ने आवंटन अधिकारी के कार्यालय में भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये थे । कुछ वर्ष पूर्व प्रार्थी के पिता ने पुनः उक्त प्रार्थना पत्र के कम में दिनांक 18.05.2000 को

भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें वादी के उक्त भूमि को यूआईओ में हस्तान्तरित होने से पूर्व आवंटन किये जाने का निवेदन किया था । वादी अपीलान्ट उक्त भूमि पर सन् 1993 से काबिज काश्त है और अपने परिवार का पालन पोषण करता चला आ रहा है ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार फरमाया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी को कब्जे के आधार पर आवंटन किये जाने हेतु निर्देशित किया जावे तथा यूआईटी को पाबन्द किया जावे कि वे उक्त भूमि को बिना विधिक प्रकिया के बेदखल नहीं करें ।

4. परीक्षण न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत न्याय आपके द्वार – 2017 में ग्राम पंचायत आलनिया में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.05.2017 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.05.2017 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील प्रस्तुत की जिसमें न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 19.06.2018 के द्वारा अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण पुनः निर्णय पारित करने हेतु परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया ।

5. न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.06.2018 की पालना में परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.11.2021 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया ।

6. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.11.2021 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में प्रपत्र राजस्व ग्रुप–6 राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक प0 6 (7) राज–4/77/2 दिनांक 11.01.2008 से 01.01.2000 तक कृषि हेतु किये गये अतिक्रमणों को नियमित करने के आदेश जारी किये गये हैं । वादी उक्त भूमि पर काफी वर्षों से काबिज काश्त है । परीक्षण न्यायालय ने उक्त परिपत्र का विवेचन स्पष्ट रूप से नहीं किया है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 9.11.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.11.021 की प्रतिलिपि लेने हेतु दिनांक 06.12.2021 को प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 09.12.22021 को प्रतिलिपि प्राप्त हुई तथा इसके पश्चात् अपीलान्ट बीमारी से पीडित होने के कारण तथा बीमारी से ठीक होने के पश्चात् पैसों की व्यवस्था करने के पश्चात् यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने लिखित बहस पेश की जो शामिल मिसल की गई । अपीलान्ट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट काफी समय से पत्थर कोट करके काश्त करता चला आ रहा है । अपीलान्ट ने उक्त भूमि पर कृषि कार्य हेतु बिजली भी ले रखी है । अपीलान्ट को तहसीलदार लाडपुरा द्वारा भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 एवं सपठित धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के तहत भी नोटिस अपीलान्ट को जारी किये गये थे । उक्त भूमि के तावान की राशि अपीलान्ट समय–समय पर तहसीलदार लाडपुरा के यहॉ जमा करता चला आ रहा है । उक्त भूमि पर आवंटन की प्रकिया अपीलान्ट द्वारा तहसील में की गई थी जो विचाराधीन है । अपीलान्ट ने उक्त भूमि पर बोरिंग लगा रखा है । अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में प्रपत्र राजस्व ग्रुप–6 राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक प0 6 (7) राज–4/77/2 दिनांक 11.01.2008 से 01.01.2000 तक कृषि हेतु किये गये अतिक्रमणों को नियमित करने के आदेश जारी किये गये हैं । उक्त भूमि पर वादी काफी समय से काबिज काश्त है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.11.2021 निरस्त फरमाया जावे तथा प्रकरण को पुनः आदेशित किया जाकर प्रपत्र राजस्व ग्रुप–6 राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक प0 6 (7) राज–4/77/2 दिनांक 11.01.2008 से 01.01.2000 तक कृषि हेतु किये गये अतिक्रमणों को नियमित करने के आदेश जारी करने हेतु परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट 01 के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है । इस कारण वादी अपीलान्ट को भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये थे जिनके विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा तावान राशि जमा करवायी गई थी । वादी अपीलान्ट उक्त भूमि पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है । उक्त भूमि राजकीय भूमि है जिस पर अपीलान्ट को किसी प्रकार के स्वत्व अधिकार प्राप्त नहीं हैं । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.11.2021 बहाल रखा जावे ।

11. रेस्पोडेन्ट 02 के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त वर्तमान में यूआईटी के खातेदारी में दर्ज है । अपीलान्ट राजकीय भूमि पर लम्बे समय से अतिक्रमी होने के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाह रहे हैं । लम्बे समय से कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.11.2021 बहाल रखा जावे ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

13. परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से साबित है कि वादग्रस्त आराजी राजकीय जो वर्तमान में नगर विकास न्यास कोटा के खातेदारी में दर्ज है । वादी अपीलान्ट उक्त भूमि पर अतिकमी की हैसियत से काबिज है । राजकीय भूमि पर लम्बे समय से कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । वादी अपीलान्ट को उक्त भूमि से बेदखल किये जाने बाबत् समय–समय पर भू– राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये जाते रहे हैं और अपीलान्ट द्वारा उक्त नोटिसों की पालना में समय–समय पर तावान शुल्क अदा किया है । अपीलान्ट न्यायालय हाजा में राजस्व ग्रुप–6 राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक प0 6 (7) राज–4/77/2 दिनांक 11.01.2008 आदेश का हवाला दिया है । यह आदेश न्यायिक प्रकिया हेतु जारी नहीं है, अपितु उपखण्ड अधिकारी को राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 20 के तहत नियमन हेतु जारी किया गया । इसी आदेश के बिन्दु संख्या 02 के बिन्दु संख्या (v) में राजकीय विभाग की भूमियों का नियमन नहीं करने का प्रावधान भी है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से स्पष्ट है कि अपीलान्ट की स्थिति अतिकमी की रही है । अतिकमी व्यक्ति को अतिकमण के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा परीक्षण न्यायालय में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत चस्पा नहीं होते हैं । परीक्षण न्यायालय ने तनकीवार न्यायिक दृष्टांतों का उल्लेख करते हुए विधिक रूप से निर्णय पारित किया है । हम परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं । अपीलान्ट उक्त आदेश के तहत न्यायालय हाजा से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है ।

14. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 29.11.2021 को बहाल रखा जाता है ।

15. निर्णय आज दिनांक 02.08.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मनोज कुमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2022/49

भीमराज आत्मज रूपा जी जाति बंजारा निवासी ग्राम जगपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।
2. नगर विकास न्यास कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.11.2021 अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा ।

वाद संख्याः 80A/दावा/2018

भीमराज आत्मज रूपा जी जाति बंजारा निवासी ग्राम जगपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।
2. नगर विकास न्यास कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.11.2021 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 02.08.2022 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री राजेन्द्र कुमार एवं रेस्पोडेन्ट कम 01 की ओर से अभिभाषक श्री राजेन्द्र मालवीय एवं रेस्पोडेन्ट कम 02 की ओर से अभिभाषक श्री शम्भूदयाल विजय के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.11.2021 को बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 02.08.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा